भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *193

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

प्रौद्योगिकी-संचालित राजमार्गों के लिए सामान्य प्रबंधन सलाहकार

*193. डा. सिकंदर कुमार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना न्यास (नेशनल हाइवे इन्फ्रा ट्रस्ट) द्वारा व्यावसायिक प्रचालन और रखरखाव के लिए सामान्य प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति हेतु अपनाए गए मानदंड तथा बोली की पारदर्शी प्रक्रियाएं क्या हैं;

(ख) राजमार्ग परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से नए ढांचे के अंतर्गत स्वचालित निरीक्षण उपकरणों तथा पूर्वानुमान-आधारित रखरखाव सॉफ्टवेयर सहित अधिदेशित विशिष्ट उन्नत प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में व्यावसायिक प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत अंतरित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई क्या है और इसकी सफलता के आकलन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस मॉडल में यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने, दुर्घटनाओं की स्थिति में शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने तथा डिजिटल टोल संग्रहण करने वाले बैरियरों पर यातायात गतिरोध की समस्या का समाधान करने के लिए क्या ठोस कदम समाहित किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"प्रौद्योगिकी-संचालित राजमार्गों के लिए सामान्य प्रबंधन सलाहकार" के संबंध में डा. सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 05 अगस्त, 2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *193 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना न्यास (एनएचआईटी) एक निजी अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के इनविट विनियमों के तहत पंजीकृत है, जो अपने विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में रखता है। इन परिसंपत्तियों की निगरानी और रखरखाव एनएचआईटी की परियोजना प्रबंधन कंपनी (पीएमसी) द्वारा किया जाना है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग इनविट परियोजना प्रबंधक प्राइवेट लिमिटेड (एनएचआईपीएमपीएल) है।

एनएचआईपीएमपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि संचालन और रखरखाव में दक्षता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना निवेश प्रबंधक प्राइवेट लिमिटेड (एनएचआईआईएमपीएल) के बोर्ड ने, जो एनएचआईटी का निवेश प्रबंधक है, अपनी बोर्ड की 89वीं बैठक में सामान्य प्रबंधन परामर्शदाताओं (जीएमसी) को नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी है। इन जीएमसी का चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति का उपयोग करके एक खुली और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। उपयुक्त परामर्शदाताओं की पहचान करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी। विभिन्न राजमार्ग खंडों के लिए नियुक्त जीएमसी की विस्तृत सूची **अनुलग्नक क** में दी गई है।

(ख) एनएचआईपीएमपीएल द्वारा अपने अधिकार में रखे गए राजमार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने और सड़क प्रयोक्ता अनुभव में सुधार करने के लिए, जीएमसी के कार्य क्षेत्र में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग तकनीक के माध्यम से ड्रोन और डैशबोर्ड आधारित कैमरा सर्वेक्षण, फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर (एफडब्ल्यूडी) परीक्षण आदि का उपयोग करके समय-समय पर सर्वेक्षण करना और परिसंपत्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना शामिल है।

(ग) अब तक, एनएचआईटी सड़क परिसंपत्तियों के 1195 किमी को सड़क परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के पेशेवर प्रबंधन के लिए एक पायलट आधार पर 5 चयनित जीएमसी को आवंटित किया गया है **(अनुलग्नक क)**। इस कार्य प्राणाली की सफलता का मूल्यांकन करार के अनुसार उनके अपेक्षित परिणाम की निगरानी करके किया जाएगा।

(घ) यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटना कार्रवाई समय को कम करने के लिए जीएमसी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं -

1. संविदा करार के अनुसार यातायात सुरक्षा योग्यता का आकलन करने के लिए परियोजना खंड का नियमित सर्वेक्षण और सुरक्षा निरीक्षण करना। कमियों की पहचान और मात्रा निर्धारित करना, और आवश्यक सुधार करने के लिए सुधारात्मक डिजाइन आरेखण, बीओक्यू और लागत अनुमान प्रदान करना।

2. सुरक्षा संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष सुरक्षा एजेंसियों का प्रबंध करना।

3. संभावित दुर्घटना प्रवण स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान करना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और परिसंपत्ति सेवा कार्यकाल को अधिकतम करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देना।

4. स्वतंत्र सड़क सुरक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपायों को लागू करना।

5. रियायत करार के अनुसार घटना प्रबंधन सेवाओं (एम्बुलेंस, मार्ग गश्ती वाहन और क्रेन सहित) की संचालन तत्परता, शीघ्र कार्रवाई समय और सेवा मानक।

6. वास्तविक समय के यातायात और यातायात के निर्बाध आवागमन की निगरानी के लिए उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस), यातायात नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (टीसीएमएस) और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) का प्रबंध और पर्यवेक्षण।

<u>अनुलग्नक-क</u>

"प्रौद्योगिकी-संचालित राजमार्गों के लिए सामान्य प्रबंधन सलाहकार" के संबंध में डा. सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 05 अगस्त, 2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *193 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पैकेज सं.	पैकेज का नाम	लंबाई (किमी)	जीएमसी का नाम
जीएमसी I; पैकेज I	मध्य प्रदेश राज्य में रीवा-कटनी-जबलपुर खंड	224	मैसर्स चैतन्य प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी लिमिटेड
जीएमसी I; पैकेज II	मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर-लकनादों-ख्वासा खंड और महाराष्ट्र राज्य में बोरखेड़ी-वाडनेर-केलापुर खंड	250	मैसर्स क्यूब हाईवे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
जीएमसी I; पैकेज III	असम राज्य में कचूगाँव-राखलदुबी-कलजहार खंड और कलजहार-पट्टाचारकुची खंड और पश्चिम बंगाल राज्य में चिचड़ा-खड़गपुर खंड	198	मैसर्स जियो डिजाइन एंड रिसर्च (प्राइवेट) लिमिटेड
जीएमसी I; पैकेज IV	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में मुजफ्फरनगर हरिद्वार और बरेली सीतापुर	236	मैसर्स सीईजी इंजीनियरिंग
जीएमसी II; पैकेज I	उत्तर प्रदेश राज्य में रायपुर-सिमगा-बिलासपुर खंड और राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़-कोटा खंड	287	मैसर्स ट्रांसलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
कुल लंबाई		**1195**	
